

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांक:- प-6-क () भील/अप/20/स्पेशल-05

दिनांक:-09.10.2020

महानिरीक्षक पुलिस,
अजमेर रेंज, अजमेर।

विषय:-परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार नि. जयपुर के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-सीएम हैल्प लाईन की आईडी न0 09200678706674 के

संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री ज्ञानेश कुमार नि. जयपुर का परिवाद दिनांक 13.09.2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक “ बाल पकडकर किशोरी को घसीटा पैर से दबाया गला ” प्राप्त होने पर परिवाद में अंकित तथ्यों की रिपोर्ट वृताधिकारी वृत जहाजपुर जिला भीलवाडा से प्राप्त की गई।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार दौराने जांच पाया गया कि उक्त मामला जहाजपुर क्षेत्र का न होकर पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा के कांवाखेडा की घटना हो उक्त संबंध में थाना कोतवाली भीलवाडा पर प्रकरण संख्या 329/20 धारा 143,420,327,328,505,506,508 भादस व औषधि एवं चमत्कारी (आक्षेपीय विज्ञापन) अधि. 1954 की धारा 7 एवं धारा 3,4 राजस्थान डायन प्रताडना निवारण एक्ट 2015 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

अतः जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित

है।

भवदीय,

जिला पुलिस

अधीक्षक,

भीलवाडा